प्रधानमंत्री का जीवन अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति में बदलाव लाने की तपस्या है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण की शपथ दिलाई व सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया

जयपुर, 7 अक्टूबर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानसरोवर के वी.टी. रोड स्थित मेला ग्राउण्ड में "विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा" कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अविराम जनसेवा यात्रा के 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा के माध्यम से आज पूरा राष्ट्र एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का पिछले ढाई दशकों का सार्वजनिक जीवन राष्ट्र-प्रथम, कठिन परिश्रम और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की एक महान तपस्या है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-मुंबई (दिल्ली-जयपुर खंड सहित), अमृतसर-जामनगर एवं अन्य प्रमुख जयपुर-किशनगढ़-जोधपुर-पचपदरा एक्सप्रेसवे तथा बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में रोड नेटवर्क का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जयपुर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए 11,764 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर रिंग रोड उत्तर परियोजना का कार्य भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने 13 हजार करोड़ रुपये लागत की जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-2 को स्वीकृति दी है। इसके तहत, 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 36 स्टेशन होंगे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानसरोवर के वी.टी. रोड स्थित मेला ग्राउण्ड में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मशाल जलाकर सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया।

कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को विकसित भारत के निर्माण की शपथ दिलाई तथा मशाल जलाकर सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया। इस दौरान वे स्वयं भी इस यात्रा में शामिल हुए और कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। मुख्यमंत्री ने यात्रा की समाप्ति पर मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में अटल काव्य स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, महेन्द्रपाल मीणा, गुरवीर सिंह बराड़, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, जयपुर नगर निगम महापौर सुनील कोठारी व उप महापौर सरोज कंवर सहित, जिलाध्यक्ष, पार्षदगण, पूर्व सैनिक, लोक कलाकार गुलाबो सपेरा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सभी जिलों से स्थानीय जनप्रतिनिधिगणों, पार्टी पदाधिकारियों एवं जन समूह ने वीसी के जरिए सहभागिता की।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने का अभियान है।

दो अफीम तस्करों को 15 साल की सजा

जयपुर, 7 अक्टूबर। एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने मणिपुर के इंफाल इलाके से प्रदेश में अफीम तस्करी करने के दो अभियुक्तों - ट्रक चालक मल्लाराम और खलासी आईदान राम को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने अभियुक्तों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

- ट्रक चालक मल्लाराम और खलासी आईदान राम मणिपुर से 40-45 किलो अवैध अफीम तस्करी करके लाते हुए पकड़े गए थे।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर लाल ने अदालत को बताया कि एनसीबी की क्षेत्रीय इकाई को 21 जनवरी, 2020 को गोपनीय सूचना मिली थी कि 22 जनवरी को दौसा से जयपुर जाने वाले एक ट्रक में 40-45 किलोग्राम अवैध अफीम की तस्करी की जा रही है।

गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए जोधपुर की टीम ने आगरा रोड पर बस्सी थाना इलाके में राजाधोक टोल प्लाजा पर ट्रक को रोककर उसकी जांच की। ट्रक में केबिन के ऊपर छत पर 42 पैकेटों में 42 किलो 380 ग्राम अवैध अफीम मिली।

इस ट्रक में 505 बोरी बाजरा भरा हुआ था। पूछताछ में ट्रक चालक ने यह मादक पदार्थ सांचौर निवासी दिनेश बिश्नोई का होना बताया। अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

वृंदावन : पानी के टैंक की सफाई में जहरीली गैस से चार छात्रों की मौत

गुरुकुल के संचालक ने रात 10 बजे छात्रों को 12 फिट गहरे पानी के टैंक को साफ करने के लिये कहा था

मथुरा , 07 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा के वृंदावन के चैतन्य विहार सेक्टर- दो स्थित "पाणिनि संस्कृत गुरुकुलम" में मंगलवार रात पानी के टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से चार छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से गुरुकुलम का संचालक फरार है।

- पाणिनी संस्कृत गुरुकुलम में 100 छात्र रह कर संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। जहां गुरुकुलम है वहां एक साल पहले तक उमा कमल के नाम से गैस्ट हाउस चलता था।

पुलिस के अनुसार, जिस जगह गुरुकुलम संचालित हो रहा है, वहां एक साल पहले तक उमा कमला नाम से गेस्ट हाउस चलता था। वर्तमान में आशीष शर्मा ने इसे किराये पर लेकर गुरुकुलम शुरू किया, जहां लगभग 100 छात्र रहकर संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। मंगलवार रात करीब 10 बजे गुरुकुल संचालक आचार्य आशीष ने छात्रों को पीछे बने लगभग 12 फीट गहरे बंद पानी के टैंक को साफ करने के लिए कहा।

पुलिस ने बताया कि निर्देश मिलने पर पांच छात्र सफाई के लिए उतरे। सबसे पहले मनु कटारे टैंक का ढक्कन खोलकर अंदर उतरे, जहां जहरीली गैस के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें बचाने के चक्कर में एक-एक करके बाकी, विशू शर्मा (19, मेरठ), आर्यन पांडेय (16, प्रयागराज) और देवांश शर्मा (17) भी टैंक में उतर गए और उसकी चपेट में आ गए। छात्रों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले कृष्णा तिवारी पहुंचे और अन्य आचार्यों व छात्रों की मदद से सभी को बाहर निकाला।

सूचना पाकर पर पहुंची पुलिस छात्रों को रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम तथा सौ शैया अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मनु कटारे (22, जबलपुर), विशू शर्मा (19, मेरठ), आर्यन पांडेय (16, प्रयागराज) और देवांश शर्मा (17) को मृत घोषित कर दिया। रुद्राक्ष अस्पताल में भर्ती है।

आरबीआई ने 25 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। ऊंची ब्याज दरों से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती हैं, लेकिन इससे खपत, घरों की मांग, कंपनियों के निवेश और क्रैडिट ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है।

इसी वजह से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को बहुत ज्यादा सख्ती के बजाय, एक नपा-तुला कदम माना जा रहा है। इसका सीधा संदेश यह है कि आरबीआई महंगाई को बढ़ने से रोकना चाहता है, लेकिन इसके लिए आर्थिक गतिविधियों को जरूरत से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।

अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह ब्याज दर बढ़ाने के एक नए दौर की शुरुआत है या सिर्फ एहतियात के तौर पर की गई एक बार की बढ़ोतरी है।

यह काफी हद तक अगले कुछ महीनों में महंगाई की दिशा पर निर्भर करेगा, खासकर खाने-पीने की चीज़ों और ईंधन की कीमतों, साथ ही वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, रूपए की चाल और घरेलू आर्थिक विकास पर।

अगर महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, तो आरबीआई पर ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखने का दबाव पड़ सकता है। अगर बाद में महंगाई कम होने लगती है, तो केन्द्रीय बैंक कुछ समय के लिए रूककर इस बढ़ोतरी के असर का आकलन कर सकता है।

संक्षेप में, रैपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने का मकसद लोन को बहुत ज्यादा मंहगा करना नहीं, बल्कि एक साफ संकेत देना है कि अगर महंगाई को काबू में रखने के लिए जरूरी हुआ, तो आरबीआई विकास के लिए मिलने वाले कुछ मॉनिटरी सपोर्ट (मौद्रिक मदद) कम करने के लिए तैयार है।

इमारतों की सुरक्षा की समय-समय पर ऑडिट करें

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा और समय-समय पर होने वाले ऑडिट से जुड़े कानूनी ढ ांचे के बारे में स्पष्टता मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्य निकेतन जैसी घटनाओं पर गौर करते हुए प्राधिकारों से 28 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। इंद्रप्रस्थ रेनेसां ट्रस्ट की याचिका में दिल्ली में इमारतों के लगातार गिरने पर चिंता जताते हुए संरचनात्मक एवं आग से सुरक्षा के समयबद्ध एवं समग्र उपायों पर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। सत्य निकेतन इमारत गिरने का हादसा 6 सितंबर को हुआ था, जिसमें मलबे में कई छात्र दब गए थे।

- हाई कोर्ट ने ऑडिट से जुड़े कानूनी ढांचे पर स्पष्टता मांगी।

वैज्ञानिक हेनरी कागन व केंसो सोई को रसायन का नोबल मिला

दोनों वैज्ञानिकों को असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर- रैखिक प्रभावों की खोज के लिये यह पुरस्कार दिया जायेगा

स्टॉकहोम, 07 अक्टूबर। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी. कागन और जापान के केंसो सोई को वर्ष 2026 के लिए संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नोबेल समिति ने बुधवार को स्टॉकहोम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की।

नोबेल समिति के मुताबिक, दोनों वैज्ञानिकों को असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर-रैखिक प्रभावों और स्व-उत्प्रेरण की खोज के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाएगा। उनको दिसंबर में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाएगा।

इस वर्ष नोबेल पुरस्कार की राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना (लगभग 11.51 करोड़ रुपये) है। यह राशि दोनों विजेताओं के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति-पत्र और पदक भी प्रदान किया जाएगा।

कागन और सोई के शोध ने रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने में मदद की है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, जिनमें एक-दूसरे की दर्पण छवियों वाले दो अलग-अलग अणु बन सकते हैं। इन अणुओं को एनैन्टियोमर कहा जाता है।

- कागन और सोई के शोध ने रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने में मदद की है, कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे नियंत्रित किया जाये।

जीवन के लिए आवश्यक कई अणु केवल इन दोनों दर्पण-रूपों में से किसी एक रूप में पाए जाते हैं। इस विशेषता को समजातीय चिरैलिटी (होमोचिरैलिटी) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों में सामान्यत: एक ही चिरल रूप का उपयोग होता है। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि प्रकृति में यह एकतरफा रासायनिक व्यवस्था कैसे विकसित हुई।

बाँग्लादेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा है कि वे दिसंबर 2026 तक स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। उनका कहना है कि वे अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं के साथ, अदालत में आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं, भले ही उन्हें उनकी गिरफ्तारी या उससे भी ज्यादा गंभीर परिणामों का खतरा हो। उन्होंने उन पर लगाये गये आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और इस बात पर सवाल उठाया है कि उनके मामले को तारिक रहमान की भारत यात्रा से क्यों जोड़ा जा रहा है।

भारत ने कहा है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध तय कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है और इसमें अदालतों की ही मुख्य भूमिका है। भारत ने यह भी कहा है कि इसकी कोई निश्चित समयसीमा बताना संभव नहीं है। भारत ने शेख हसीना के 2024 में भारत आने को एक ऐसे मौजूदा प्रधानमंत्री के भारत आने के रूप में बताया है, जिनके साथ पड़ोसी देश के नाते कर्तव्यों का पालन किया गया।

बीएनपी अपने रुख पर अड़ी हुई है, क्योंकि शेख हसीना का भारत में रहना और वहां से उनके सार्वजनिक बयान बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखे जाते हैं। बीएनपी के अनुसार, इससे आंदोलन के बाद बनी नई राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी बाधा आ रही है।

2024 के आंदोलन के आधार पर सत्ता में आने वाली और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार के लिए शेख हसीना की वापसी केवल घरेलू राजनीतिक विश्वसनीयता का मुद्दा नहीं है। यह इस बात की भी परीक्षा है कि क्या भारत बांग्लादेश के नए लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करता है।

बर्धमान का फर्जी डॉक्टर दुबई भागते हुए गिरफ्तार

डॉक्टर बिना वैध डिग्री के प्रैक्टिस कर रहा था व फाइमोसिस की सर्जरी में लापरवाही से बच्चे की मौत का आरोपी है

कोलकाता, 07 अक्टूबर। दुबई भागकर पत्नी के साथ खाड़ी देश में बसने का सपना देख रहे पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के फर्जी डॉक्टर शेख साइदुल की योजना पर पानी फिर गया। पत्नी को साथ ले जाने के इरादे से मंगलवार को दिल्ली पहुंचे साइदुल को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही पुलिस ने धर दबोचा। बुधवार को बर्धमान थाने की एक विशेष टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल लाने के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी है।

शेख साइदुल की फर्जी गतिविधियों का खुलासा सितंबर के पहले हफ्ते में हुआ था। पूर्व बर्धमान के नवाबहाट स्थित लाइफ केयर नामक एक निजी नर्सिंग होम में फाइमोसिस की सर्जरी के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे के परिवार ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था। मृतक बच्चे की मां शिल्पा राय ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें फोन पर धमकियां दी जा रही थीं।

बर्धमान थाना पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जांच में सामने आया कि सर्जरी करने वाले शेख साइदुल के पास कोई वैध मेडिकल डिग्री नहीं थी और वह फर्जी डिग्री के सहारे प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी निशानदेही पर स्वास्थ्य विभाग को कई अन्य संदिग्ध फर्जी डॉक्टरों की जानकारी भी मिली। घटना के बाद प्रशासन ने उक्त नर्सिंग होम को सील कर दिया और पुलिस ने उसके दो संचालकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि साइदुल फरार हो गया था।

- शेख साइदुल अपनी पत्नी के साथ दुबई भागने की फिराक में था, जब पुलिस ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार किया।

चुनाव आयुक्त ने सांसदों से नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक के लिए, उसने 2025 में एक प्रक्रिया तय की थी। इसके तहत, किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल या कई दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बैठक के लिए समय मांगता है।

आयोग ने कहा, "इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से बैठक का समय तय किया जाता है।"

जब आयोग सांसदों के साथ बैठक के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, तब दिल्ली पुलिस ने उसे बताया कि प्रतिनिधिमंडल में 240 सांसद शामिल हैं और बैठक का प्रस्तावित स्थान संसद भवन एनेक्सी है।

आयोग ने कहा, "चुनाव आयोग ने इस अनुरोध को असामान्य माना और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी बैठकें केवल भारतीय निर्वाचन आयोग के परिसर में ही होती हैं।"

आयोग ने कहा कि उसने ज्ञापन प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित बैठक स्थल पर अपने वरिष्ठतम ऑफिसर-ऑन -ड्यूटी को भेजने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के अनुसार, यह अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम होता, लेकिन सांसदों ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया।

आयोग ने कहा कि वह संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ, अपने प्रोटोकॉल और परंपराओं का सम्मान करता है, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आयोग ने कहा, "कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समय चुनाव आयोग से बैठक का अनुरोध कर सकता है। आयोग समय की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, बैठक के लिए तारीख और समय तय करता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है।"

दिन में इससे पहले संसद मार्ग से चुनाव आयोग मुख्यालय तक इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च के दौरान काफी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत, कुछ अन्य नेता चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश में आकाशवाणी भवन परिसर में दाखिल हो गए।

राहुल गांधी विपक्ष के सड़क पर हुए विरोध प्रदर्शन के केन्द्र में रहे। प्रदर्शन के कारण संसद मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। एक समय वहां मौजूद लोगों की तालियों और नारों के बीच, राहुल गांधी कई परतों वाली लोहे की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। वे कुछ देर उस पर खड़े रहे और तिरंगा लहराते रहे। इसके बाद वे पुलिस के घेरे से निकलकर ऑल इंडिया रेडियो के परिसर में पहुंच गए।

सूरज डूबने तक, राहुल गांधी ऑल इंडिया रेडियो के परिसर के अंदर ही डटे रहे और पुलिस के साथ उनका टकराव जारी रहा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंचने से रोकने पर अड़ी रही, हालांकि पुलिस का रवैया काफी हद तक शांत और संयमित रहा।

पुलिस ने मार्च रोकने के बाद, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और डैरेक ओ'ब्रायन सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया।

यह मार्च उन विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में नवीनतम प्रदर्शन था, जिनके जरिए नेता और सिविल ऐक्टिविस्ट्स मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह मांग 25 सितंबर की "इंडियन एक्सप्रेस" की एक रिपोर्ट के बाद और तेज हुई है। इस रिपोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों का संकेत दिया गया था।

मोदी आडवाणी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र के लिए उनके योगदान ने देश के जीवन पर स्थायी छाप छोड़ी है। मोदी ने कहा, "उन्होंने भारत की प्रगति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" 98 वर्षीय आडवाणी भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हें वर्ष 2024 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था।

सीजेपी का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने बुधवार को प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। सौरव दास ने कहा कि सीजेपी, सभी छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेगी और चुनावी व्यवस्था में सुधार होने के बाद ही वापस लौटेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के आव्हान के खिलाफ साजिश रचने के बजाय, व्यवस्था में सुधार पर बातचीत के लिए युवाओं के प्रतिनिधिमंडल को क्यों नहीं बुला सकती। उन्होंने सरकार पर विरोध प्रदर्शन को पटरी से उतारने और तनावपूर्ण एवं हिंसक माहौल बनाने का आरोप लगाया है।

सौरव ने कहा कि एक लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हममें से कितनों को हिरासत में लेते हैं, याद रखें कि यह लड़ाई तो लड़नी ही है, चाहे हम हों या न हों। अगर वोट देने का हमारा अधिकार सुरक्षित रहेगा, तभी हम अपने भ्रष्ट तंत्र को बदल पाएंगे।

मुहाना थाने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया गया कि उनके सामने मुहाना थाना पुलिस के पुलिसकर्मियों ने युवक को पीटा था और सिर पकड़ कर दीवार पर मारा था।

गजट नोटिफिकेशन के नियमों का संशोधन कार्यालय आदेश से नहीं हो सकता- हाई कोर्ट

अदालत ने राजस्थान वॉटर सप्लायर नियमों में संशोधन कर 12 फरवरी 2025 का परिपत्र रद्द किया

जयपुर, 7 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित नियमों का विधिक बल होता है और ऐसे नियमों को विभाग अपने कार्यालय आदेशों और परिपत्र आदि के जरिए संशोधित नहीं कर सकता। इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान वाटर सप्लायर नियम, 1967 के नियमों में संशोधन के लिए 12 फरवरी, 2025 को जारी परिपत्र को रद्द कर दिया है। जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने ये आदेश पीएचईडी कॉन्ट्रेक्टर कल्याण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि ऐसा संशोधन केवल गजट नोटिफिकेशन के जरिए ही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में जिस प्रकार के संशोधन नियमों में किए गए हैं, उससे संपूर्ण प्लंबिंग, जल मीटर, रोड कट, कनेक्शन लगाना आदि की संपूर्ण प्रक्रिया ही परिवर्तित हो रही है। प्रक्रिया का सरलीकरण करने और सुविधाएं देने के नाम पर प्रशासनिक आदेशों से नियमों में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे में 12 फरवरी को जारी परिपत्र क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण रद्द किया जाता है। याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल गुप्ता और अधिवक्ता अंकुल गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता समिति जल आपूर्ति, मीटर कनेक्शन और प्लंबिंग लाइसेंस आदि देने का काम करती है और वह वाटर सप्लायर नियम, 1967 से तहत काम कर रही है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 12 फरवरी, 2025 को एक परिपत्र जारी कर 1967 के नियमों में संशोधन कर दिया। वहीं संपूर्ण प्लंबिंग, जल मीटर, रोड कट और रेस्टोरेशन के लिए 8100 रुपए तय कर दिए और नियमों में परिवर्तन कर यह काम ठेकेदारों को लाइसेंसी प्लंबरों के माध्यम से कराने का अधिकार दे दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकार ने ठेकेदार के रूप में बीच में एक व्यक्ति को जोड़ दिया, जो लाइसेंसी के लिए अतिरिक्त राशि वसूलेगा, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। इसके अलावा पूर्व में लाइसेंसी प्लंबरों के कार्य का निरीक्षण करने वाले पीएचईडी के जेईएन को हटा दिया गया है। इससे याचिकाकर्ता समिति से जुड़े करीब पांच हजार प्लंबरों का रोजगार छिन जाएगा। याचिका में कहा गया कि नियमों को परिपत्र के आधार पर संशोधित नहीं किया जा सकता। ऐसे में 12 फरवरी को जारी परिपत्र को रद्द किया जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट, 1979 की धारा 68 के तहत विभाग, सरकार की पूर्व अनुमति से नियमों को बनाने, संशोधित करने और रूपांतरित कर सकता है। ऐसे में नियमों में किया गया संशोधन वैध है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने नियमों में संशोधन के लिए जारी 12 फरवरी, 2025 के परिपत्र को रद्द कर दिया है।

- जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, प्रक्रिया का सरलीकरण करने और सुविधाएं देने के नाम पर प्रशासनिक आदेशों से नियमों में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालौर कार्यालय :-** प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424, **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908